मुख्य अभियंता (या0) का कार्यालय

पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड

प्रथम तल, अभियंत्रण छात्रावास सं0–2, धुर्वा, राँची–834004

पत्रांक : मु0अभि0(या0) / 382 दिनांक : 12-03-2020

सेवा में,

Project Manager,
JUIDCO Ltd.,
Pragati Sadan, Kutchery Road, Ranchi.

विषय : पथ प्रमण्डल, सरायकेला–खरसांवा अन्तर्गत शहरबेड़ा मोड़ से सपरा ग्राम, NIT Gate से आकाशवाणी केन्द्र एवं RIT मोड़ से सीतारामपुर डैम तक पथ में Underground Water Pipeline बिछाने हेतु अनुमति / NOC के संबंध में।

प्रसंग : आपका Online Application Registration No.-RCD-db7-20190827

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, सरायकेला–खरसांवा के अनुशंसा के आलोक में विषयांकित पथ (JARDCL, Ranchi के Maintenance के अधीन पथांशों को छोड़कर) Underground Water Pipeline बिछाने हेतु अनुमति / NOC निम्न शर्त्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

(1) झारखण्ड राजमार्ग अधिनियम–2005 एवं तत्पश्चात् झारखण्ड राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम–2011 में वर्णित तकनीकी विशिष्टियों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

(2) विभागीय संकल्प ज्ञापांक : 6578(एस)डब्लू.ई. दिनांक : 10.09.2012 में निहित निर्देश का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

(3) विभागीय ज्ञापांक : 4935(एस) दिनांक : 28.08.2018 द्वारा निर्गत संकल्प में राजकीय उच्च पथ, वृहद जिला पथ एवं अन्य जिला पथों के RoW में उपयोगी सेवायें बिछाने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार से अनुज्ञप्ति शुल्क तथा Performance Guarantee नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

(4) Existing Carriageway के Along/Across भूमिगत पाईपलाईन Trenchless Method से ही बिछाया जोयगा। पाईपलाईन बिछाने के क्रम में क्षतिग्रस्त पथांशों को अपने मूल रूप / संलग्न Restoration Plan के अनुरूप पुनर्स्थापन के साथ–साथ उक्त पथांशों का तीन वर्षों तक अनुरक्षण में होने वाले लागत का वहन User Agency को करना होगा।

(5) सड़क सुरक्षा संबंधी सभी उपाय यथा, अस्थायी डाईवर्सन निर्माण, signage इत्यादि में लागत का वहन User Agency को करना होगा।

(6) उक्त कार्य कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, सरायकेला–खरसांवा के निर्देशानुसार उनके पर्यवेक्षण में कराया जायगा।

विश्वासभाजन,

12.03.2020

(जय प्रकाश सिंह)
मुख्य अभियंता (या0)
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
कृ0पृ0उ0

Ali

ज्ञापांक : 382

दिनांक : 12-03-2020

प्रतिलिपि : **अधीक्षण अभियंता**, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, **चाईबासा / कार्यपालक अभियंता**, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, **सरायकेला–खरसांवा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निर्देश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित आशय का अनुपालन करते हुए कार्य का समुचित पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।

12.03.2020

(जय प्रकाश सिंह)
मुख्य अभियंता (या0)
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 382

दिनांक : 12-03-2020

प्रतिलिपि : **मुख्य अभियंता**, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

12.03.2020

(जय प्रकाश सिंह)
मुख्य अभियंता (या0)
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 382

दिनांक : 12-03-2020

प्रतिलिपि : **अभियंता प्रमुख**, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

12.03.2020

(जय प्रकाश सिंह)
मुख्य अभियंता (या0)
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

Ali